न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 24/2023 अपील प्रकरण में आपत्ति प्रार्थना पत्र

1. श्री अनिता रावल पत्नी विजेश नाथ रावल निवासी एच – 13 चन्द्रशेखर आजादनगर, भीलवाडा –अपीलार्थी	बनाम	1. राजी पुत्री चुना गुर्जर निवासी ठगों का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा व अन्य – विपक्षीगण

उपस्थित –

1. श्री पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री अमित कोठारी अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 06.06.2023

अपील प्रकरण में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 09/2023 निर्णय दिनांक 06.04.2023 के विरूद्व अपील पेश की हैं, जिसमें तहसीलदार भीलवाडा द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अधीन निर्णय एवं आदेश पारित किये गये हैं। जिसकी अपील सुनने का क्षेत्राधिकार भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1)(एफ) के तहत निदेशक भू अभिलेख, संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को प्राप्त हैं। भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (क) के तहत बंदोबस्त या भू अभिलेख से संबंध नहीं रखने वाले मामलों में तहसीलदार द्वारा पारित मूल आदेश की अपील कलक्टर के यहां होती हैं। जबकि उक्त अपील प्रकरण में तहसीलदार का निर्णय व आदेश भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से पारित किये गये हैं तथा ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय/आदेश की अपील कलक्टर महो. के क्षेत्राधिकार से परे हैं। उक्त परिस्थिति में अपील इस न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार के परे होकर पोषणीय नहीं हैं। निवेदन हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र की बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 09/2023 में तहसीलदार भीलवाडा द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अधीन निर्णय एवं आदेश पारित किये गये हैं। जिसकी अपील सुनने का क्षेत्राधिकार भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1)(एफ) के तहत निदेशक भू अभिलेख, संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को प्राप्त हैं। उक्त परिस्थिति में अपील इस न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार के परे होकर पोषणीय नहीं हैं। निवेदन हैं कि अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के परे होने से खारिज की जावे। इस बाबत् विधिक दृष्टान्त 2016 (1) आरआरटी 726 रेवेन्यु बोर्ड सतपाल बनाम मनीराम पेश किये हैं।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय को मुगालता में रखने हेतु प्रस्तुत किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

निर्णय को भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत गलत तौर माना हैं। उक्त निर्णय भू अधिनियम की धारा 135(1)की परिधि में आता हैं। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया हैं, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1)(एफ) के तहत भी नही माना जा सकता हैं। इस कारण यह अपील इस न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार की हैं। निवेदन हैं कि रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे एवं अपील गुणावगुण पर निर्णित की जावे।

प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 09/2023 निर्णय दिनांक 06.04.2023 में भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) में दर्ज रजिस्टर किया जाकर इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 15/2022 निर्णय दिनांक 21.02.2023 की पालना में पटवारी हल्का आटूण से रिपोर्ट तलब की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा द्वारा निर्णय पारित किया गया।

इस प्रकार यह स्पष्ट जाहिर होता हैं कि प्रस्तुत अपील प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2)के तहत निर्णय पारित किया गया हैं, जिसकी अपील सुनने का क्षैत्राधिकार भू राजस्व अधिनियम की धारा 75(1)(एफ) के तहत निदेशक भू अभिलेख, संभागीय आयुक्त महो./अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महो. को प्राप्त हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव—

आदेश

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1)(एफ) के तहत निदेशक भू अभिलेख, संभागीय आयुक्त महो./अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महो. को प्राप्त होने से, अपीलार्थी की अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटायी जाने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2023 को लिखाया जाकर बार हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा